



Neutral Citation No. - 2026:AHC:59164

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1961/2026

हसरत अली और अन्य

.....पुनरीक्षणयाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिपक्षी

पुनरीक्षणयाची(गण) के अधिवक्ता : तरुण कुमार श्रीवास्तव

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 86

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

पुनरीक्षणयाचीगणों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए .जी.ए. की दलीलों को सुना और अभिलेख में मौजूद सामग्री का अवलोकन किया गया।

आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर करते हुए प्रार्थना की गई है कि इस पुनरीक्षण को स्वीकार किया जाए और मुकदमा अपराध संख्या 105/2013 अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी. अधिनियम, थाना गाजीपुर, जिला फतेहपुर से उत्पन्न, वाद संख्या 351/2014 (राज्य बनाम हसरत अली और अन्य) में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 1, फतेहपुर द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 17.12.2025 को अपास्त किया जाए, जिसके तहत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के तहत पुनरीक्षणयाचिकाओं की रिहाई याचिका को खारिज कर दिया गया है, जो कि माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 1 की अदालत में लंबित है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी द्वारा धारा 3/7 ईसी अधिनियम के तहत झूठे आरोपों के साथ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने लोटन को 95 लीटर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



केरोसिन तेल 35 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा था , जो इंजन में डीजल के स्थान पर केरोसिन तेल का उपयोग करके आटा और तेल मिल चला रहा था। आगे निवेदन किया गया है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच का नेतृत्व अधीनस्थ अधिकारी दया शंकर त्रिपाठी ने किया और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया गया , जिसके आधार पर संज्ञान लिया गया। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि जांच अधिकारी ने मामले की जांच और सामग्री को उचित तरीके से एकत्र नहीं किया , बल्कि उसमें खामियां थीं। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि उनके केरोसिन तेल की दुकान का लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22.08.2013 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था , जिसके संबंध में उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 50265/2013 दायर की थी, जिसे दिनांक 24.03.2014 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और परिणामस्वरूप उनका लाइसेंस बहाल कर दिया गया था। उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 239 सीआरपीसी के तहत दोषमुक्ति के लिए आवेदन किया , जिसमें उन्होंने दलील दी कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा उनका लाइसेंस अवैध रूप से और उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्द कर दिया गया था और इस न्यायालय द्वारा लाइसेंस रद्द करने को अवैध मानते हुए इसे बहाल कर दिया गया था , इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है और परिणामस्वरूप आरोप तय नहीं किए जा सकते हैं। उन्होंने दोषमुक्ति के लिए आवेदन किया है , लेकिन विचारण न्यायालय ने इन सभी तथ्यों और उनके लाइसेंस के बहाली के तथ्य पर विचार किए बिना दोषमुक्ति नहीं दी , बल्कि दिनांक 17.12.2025 का आदेश पारित किया है , जो वैध नहीं कहा जा सकता है। अतः , अनुरोध है कि इसे रद्द किया जाए और पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार किया जाए।

विद्वान ए.जी.ए. ने उपरोक्त प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि केवल इस आधार पर कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस रद्द करने का आदेश पुनर्जीवित कर दिया गया है , यह नहीं कहा जा सकता कि एफआईआर में लगा ए गए आरोप और जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान एकत्रित की गई सामग्री पूरी तरह से झूठी है और आरोपी को बरी करने की दलील पर उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों और जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान एकत्रित की गई सामग्री के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। लाइसेंस रद्द करना और उसे पुनर्जीवित करना अलग-अलग मुद्दे हैं और केवल इसी आधार पर आरोप तय करने के चरण में पूरे अभियोजन मामले को झूठा नहीं कहा जा सकता। विद्वान विचारण न्यायालय ने जांच अधिकारी द्वारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

जांच के दौरान एकत्रित की गई सामग्री के आधार पर और लाइसेंस रद्द करने और उसे पुनर्जीवित करने के तथ्य पर विचार करने के बाद ही विचाराधीन आदेश पारित किया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता या अनुचितता नहीं है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों , याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत दलीलों और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर विचार करते हुए , ऐसा प्रतीत होता है कि क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ लोटन को केरोसिन तेल बेचने के लिए एफ.आई.आर. दर्ज की थी, जो अपने फर्श और तेल मिल इंजन में डीजल के स्थान पर केरोसिन तेल का उपयोग कर रहा था , जबकि केरोसिन का उपयोग इंजन को डीजल के स्थान पर चलाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता ने नियंत्रण आदेश के बावजूद 95 लीटर केरोसिन तेल 35 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा , जो ई.सी. अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है और ई.सी. अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध है। एफआईआर दर्ज करने से पहले कथित घटना के समय प्राधिकरण द्वारा उचित जब्ती ज्ञापन तैयार किया गया था। जांच के दौरान जांच अधिकारी ने मुखबिर और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए और फिर उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसी बीच , संबंधित प्राधिकारी द्वारा नोटिस तामील किए बिना ही केरोसिन तेल की दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। इसी कारण इस मामले को रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय में चुनौती दी गई थी , जिसे स्वीकार कर लिया गया और लाइसेंस रद्द करने का आदेश बहाल कर दिया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के तहत आरोप तय करने /बरी करने के चरण में , केवल लाइसेंस के बहाल होने के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष का बयान पूरी तरह से झूठा है , क्योंकि इस आपराधिक मामले में लाइसेंस रद्द करने या बहाल करने का मुद्दा विचाराधीन नहीं है। आरोप तय करने के चरण में , न्यायालय को जांच के दौरान एकत्रित सामग्री की जांच करनी होती है, यह देखते हुए कि क्या उसे उसके मूल स्वरूप में लिया जाए और क्या वह कथित अपराध के तत्वों को प्रकट करती है। इस स्तर पर न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह दोषसिद्धि के लिए मामले की गहराई में जाए। बरी करने की याचिका पर विचार करते समय न्यायालय को साक्ष्यों का मूल्यांकन करने और अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं है। इस स्तर पर गवाहों के बयानों और जांच के दौरान एकत्रित सामग्री की सत्यता और विश्वसनीयता का निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। दिनांक 17.12.2025 को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में ऐसी कोई अवैधता या अनुचितता नहीं दिखती जिसके कारण इस आपराधिक पुनरीक्षण में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

तदनुसार, यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका मेरिट रहित होने के कारण प्रवेश स्तर पर ही खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

23 मार्च, 2026

अशोक गुप्ता